



राजस्थान सरकार  
कार्यालय तहसीलदार, खानपुर  
जिला-झालावाड



\* जाति प्रमाण-पत्र \*

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों द्वारा  
अपने दावे केन्द्रों में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

क्रमांक : RI32/2012/Misc/Digital Caste (SC/ST)/1429

यह प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी दुर्गेश यादव पूत्री श्री रामकल्याण निवासी- खानपुर, जिला झालावाड सजस्थान राज्य में जाटव (17) के अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य हैं, जो कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति (सुब्जी) संशोधन अधिनियम 1956 संविधान अण्डमान निकोबार अनुसूचित आदिम जाति आदेश 1956 के अन्तर्गत एक अनुसूचित जाति आदिम जाति मानी जा चकी है।

टुर्गेश यादव और इसका परिवार साधारणतः खानधुर गञ्य संघ क्षेत्र राजस्थान के जिला झालावाड़ के निवासी हैं।

आज दिनांक 06-07-2012 को यह प्रमाण-पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षर से प्रचलित किया गया है।

1. यहाँ प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो जन पत्रिनिश्चित 1950 की आरा 20 में है।
  2. राजस्वान संस्कार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिकारीता से एक 21(37) एवं ने ई./कम्प्र./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग का मन्तव्यान्वयन प्रदान की गयी है।
  3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोरुक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये ई.-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्राप्तिकता के सम्बन्ध में कोई चिकाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता।
  4. शर्यों द्वारा इस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेजात जिले के सम्बन्धित प्रदत्त अधिकारी जिले के हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा कार्यालय में विरोध्या/परोक्षण के लिए उपलब्ध होगा।
  5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी शर्यों के लिये मान्य है।
  6. शर्यों को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन [www.emitra.gov.in](http://www.emitra.gov.in) पर स्थित On-line Verification Section से online सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, खानपुर

Signature valid

Digitally signed by  
CHOTU LAL VERMA  
Date: 2012-06-06  
11:45:29 IST  
Reason: ACM  
Location: Rajasthan



1232003410058129